संख्या–2312/81-2-2022-800(222)/2021

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 02 सितम्बर 2022

विषय- जनपद सोनभद्र के कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मिर्जापुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश) द्वारा पटवध ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम कनछ में प्रस्तावित WTP पाइप लाइन एवं जैकवेल निर्माण में प्रभावित 6.4325 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 55 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-एफपी/यूपी/वाटर/119894/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8 बी/यूपी/08/263/2021/एफसी/210 दिनांक 17.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-730/11-सी/एफपी/यूपी/वाटर/119894/2021 दिनांक 29.08.2022 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराया गई है।

2- अतएवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 29.08.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

Signed by आशीष तिवारी
Date: 01-09-2022 18:39:25
Reason: Approved

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव